भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1541

गुरूवार, 12 फरवरी, 2026/23 माघ, 1947 (शक)

सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा योजना

1541. श्री संदोष कुमार पी:
श्री मनोज कुमार झा:

क्या श्र**म और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास सभी भारतीय नागरिकों के लिए बुनियादी स्तर की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके प्रारंभिक चरण के कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा और अनुमानित बजट क्या है; और

(ग) इस योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जो विश्व स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण विस्तारों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2015 में 19% से बढ़कर वर्ष 2025 में 64.3% हो गया है।

संगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(i) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (ईपीएफ);

(ii) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस);

(iii) कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड बीमा योजना, 1976 (ईडीएलआई)।

इन योजनाओं का उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कामगारों को सेवानिवृत्ति बचत, अधिवर्षिता /निःशक्तता होने पर मासिक पेंशन और सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में उनके आश्रितों को बीमा लाभ सुनिश्चित करके व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

जारी.....2/-

इस मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने के लिए फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना शुरू की गई है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत, असंगठित कामगारों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000 रुपये की मासिक सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के कामगार जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकार द्वारा वित्त पोषित) के सदस्य नहीं हैं और जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है, वे इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं।

पहली बार, 'गिग कामगार' और 'प्लेटफ़ॉर्म कामगार' की परिभाषा और उनसे संबंधित प्रावधानों को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में शामिल किया गया है, जो कि दिनांक 21.11.2025 से लागू हुई है।

यह संहिता जीवन और निःशक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर गिग कामगार और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपाय तैयार करने का प्रावधान करती है। इस संहिता में कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित करने का प्रावधान है। संहिता में गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के प्रयोजनों के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन का भी प्रावधान है।

इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा गिग कामगारों, प्लेटफॉर्म कामगारों आदि सहित असंगठित कामगारों हेतु एक व्यापक केंद्रीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस के सृजन के लिए दिनांक 26.08.2021 को ई-श्रम पोर्टल शुरू किया गया। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके पंजीकृत करना और उनका समर्थन करना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा ई-श्रम "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" भी शुरू किया गया है जिसमें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं का एक ही प्लेटफॉर्म अर्थात् ई-श्रम पर एकीकरण किया गया है। इसकी परिकल्पना ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच और उनके द्वारा प्राप्त लाभों को देखने में सक्षम बनाने के लिए की गई है।

अब तक, असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की चौदह (14) योजनाएं ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप की जा चुकी हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), आदि शामिल हैं।
